राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

क्रमाकं :– एफ0 ( ) एमएनजेवाई / चिकित्सा / 2013 / 311 दिनांक: 02-02-2013

समस्त सभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर
समस्त सयुंक्त निदेशक (जोन)
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी

विषय :–मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना की सफल क्रियान्वति हेतु बजट स्वीकृति के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2013 को आयोजित मिटिंग के मिनिटस् के अनुसार प्रथम चरण हेतु वित्त विभाग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 25.00 करोड़ की अनुदान राशि **(Grant in Aid) Short Term arrangement** हेतु स्वीकृत किऐ जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है। उक्तानुसार राशि मार्च 2013 के द्वितीय पखवाडे में अनुपूरक मॉगे पारित होने के पश्चात् सम्बन्धित RMRS को उपलब्ध करवाई जाएगी ।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना के प्रथम चरण का क्रियान्वयन अस्पताल स्तर पर गठित आरएमआरएस के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल व उससे संबंधित चिकित्सालयों हेतु संभागीय आयुक्त एंव जिला चिकित्सालय, उप–जिला चिकित्सालय व सेटेलाइट चिकित्सालयों हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आरएमआरएस की बैठक आयोजित कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियॉ की जानी है।

योजना को लागू करने हेतु निम्न गतिविधियॉं (**SHORT TERM ACTIVITIES**) तुरन्त की जानी है:–

1. लैब एंव एक्स–रे विभाग का सिविल मरम्मत एवं पुनर्निमाण कार्य (Repair, renovation, establishment of collection counter & report distribution centers)
2. मानव संसाधन की व्यवस्था (Deployment through RMRS or deputation of existing staff)
3. उपकरणों की मरम्मत (Repair of existing equipments & Arrange new diagnostic equipments through outsourcing or transfer from other units of Govt.)
4. लैब रिएजेन्टस् आदि का क्रय (Purchase of Reagent & Consumables)
5. चिकित्सको एंव तकनीकी कर्मचारियो का प्रशिक्षण (Orientation and Hands on Training of Doctors and LT, LA, RG etc.)
6. प्रयोगशाला के बाहर बोर्ड पर की जाने वाली जॉचों की सूची (Display boards)

उपरोक्त गतिविधियो की क्रियान्वति हेतु वित्त विभाग से बजट प्राप्त होने के पश्चात् चिकित्सा संस्थानवार संलग्नसूची के अनुसार आरएमआरएस को हस्तान्तरित किया जावेगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराऐं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

क्रमाकं :– एफ0 ( ) एमएनजेवाई / चिकित्सा / 2013 / 311 दिनांक: 02-02-2013

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव प0क0 एंव आयुर्वेद विभाग, राज0 जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर, राजस्थान।
3. संभागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
4. संयुक्त निदेशक, जोन (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलक्टर, (समस्त) राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना, आर एम एस सी, जयपुर राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं